

कावेरी नदी जल विवाद

प्रलिमिस के लिये:

मेकेदातु जलाशय परियोजना, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण

मेन्स के लिये:

अंतर्राज्यीय नदी जल विविध और उनके समाधान हेतु उपाय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'कावेरी जल परबंधन पराधिकरण' (CWMA) ने करनाटक को तमिलनाडु के लिये पानी की शोष मात्रा तत्काल जारी करने का निरिदेश दिया है।

- हालांकि तमिलनाडु, करेल और पट्टुद्वेरी के बाद 'कावेरी जल परबंधन प्राधिकरण' ने '**मेकेदात जलाशय परियोजना**' पर चर्चा नहीं की।

ਪ੍ਰਮੁਖ ਬਦਿ

■ कावेरी जल विभाग:

० परचिय-

- इसमें 3 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुचेरी) शामिल हैं।
 - विवाद की उत्पत्तिकीरीबन 150 वर्ष पूरव वर्ष 1892 और वर्ष 1924 के बीच तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी एवं मैसूर के बीच मध्यस्थिता के दो समझौतों के साथ हुई थी।
 - इन समझौतों में यह सदियों तक नहिं था कि उपरी तटवर्ती राज्य को किसी भी नरिमाण (जैसे कावेरी नदी पर जलाशय) गतिविधि के लिये निचले तटवर्ती राज्य की सहमतिप्राप्त करनी होगी।

० हालयि घटनाक्रम

- वर्ष 1974 के बाद से कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमतिलियि बना अपने चार नए जलाशयों में पानी को मोड़ना शुरू कर दिया, जिसके परणिमसवरूप विवाद उत्पन्न हो गया है।
 - इस विवाद को समाप्त करने हेतु वर्ष 1990 में '[कावेरी जल विवाद नियायाधिकरण](#)' की स्थापना की गई, जिसने 17 वर्ष बाद यह नरिण्य दिया की कावेरी नदी के जल को सामान्य वरषा की स्थिति में 4 तटवर्ती राज्यों के बीच किसी प्रकार साझा किया जाना चाहयि।

- ‘कावेरी जल विविद न्यायाधिकरण’ का गठन केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विविद अधिनियम, 1956 की धृता 4 द्वारा प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया था।

- न्यायाधिकरण के नरिण्य के मुताबिकि, कम वरण की स्थिति में आनुपातिक आधार का उपयोग किया जाएगा। सरकार ने इस नरिण्य छोड़ादेश कोक्सस्ट्रेच (शंखाधारा) में चुम्बकीय अधिकारों के लिए 12000 क्यूसेक जल घोड़ने का नरिण्य दिया गया था जिसके कारण राज्य में वर्षाधृ परदरशन शर हो गए थे।

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का अंतमि निरिण्य वर्ष 2018 में आया जसिमें न्यायालय ने कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया और CWDT द्वारा जल-बैंडवारे हेतु अंतमि रूप से की गई व्यवस्था को बरकरार रखा तथा कर्नाटक से तमलिनाडु को किये जाने वाले जल के आवंटन को भी कम कर दिया ।

- ० सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, कर्नाटक को 284.75 हजार मलियन क्यूबिक फीट (tmcft), तमिलनाडु को 404.25 tmcft, केरल को 30 tmcft और प्रदेशीय को 7 tmcft दिए गए थे।

- ० सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को 'कावेरी प्रबंधन योजना' (Cauvery Management Scheme) को अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने जून 2018 में 'कावेरी जल प्रबंधन योजना' अधिसूचित की, जसके तहत केंद्र सरकार ने नियन्य को प्रभावी करने के लिये 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' (Cauvery Water Management Authority- CWMA) और 'कावेरी जल वनियमन समिति' (Cauvery Water Regulation Committee) गठित किए।

■ सेकेटार जलाभ्यापत्रिका:

- इसका उद्देश्य बंगलूरु शहर के लिये पीने के पानी का भंडारण और आपूरति सुनिश्चित करना है। परियोजना के तहत लगभग 400 मेगावाट (MW) बजिली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव है।
- वर्ष 2018 में तमिलनाडु राज्य द्वारा परियोजना के विविध संघोच्च न्यायालय (Supreme Court- SC) में अपील की गई, हालाँकि कर्नाटक द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया था कि यह परियोजना तमिलनाडु में जल के प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगी।
 - संघोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने से पूर्व तक तमिलनाडु ऊपरी तट (Upper Riparian) पर प्रस्तावित किसी भी परियोजना के निर्माण का वरीधि करता रहा है।

कावेरी नदी



- तमिल भाषा में इसे 'पोन्नी' के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस नदी को दक्षणि की गंगा (Ganga of the South) भी कहा जाता है और यह दक्षणि भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है।
- यह दक्षणि भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम दक्षणि-पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित ब्रह्मगरी पहाड़ी से होता है, यह कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होती हुई दक्षणि-पूर्व दिशा में बहती है और एक शृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है इसके बाद पांडिचेरी से होती हुई बंगल की खाड़ी में गिरती है।
 - अरकवती, हेमवती, लक्ष्मणीरथ, शमिसा, काबनी एवं हरंगी आदि इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं।

आगे की राहः

- राज्यों को कषेत्रीय दृष्टिकोण को त्यागने की ज़रूरत है क्योंकि समस्या का समाधान सहयोग और समन्वय में नहिति है, न किंवद्धर में। स्थायी एवं पारस्थितिक रूप से व्यवहार्य समाधान के लिये बेसनि स्तर पर योजना तैयार की जानी चाहिये।
- दीर्घावधि में वनीकरण, रविर लकिगि आदि के माध्यम से नदी का पुनर्भरण किये जाने और जल के दक्षतापूर्ण उपयोग (जैसे- सूक्ष्म संचार आदि) को बढ़ावा देने के साथ-साथ जल के विकापूरण उपयोग हेतु लोगों को जागरूक करने तथा जल स्मार्ट रणनीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

स्रोतः द हट्टू